न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—40 / 2018 / 225 (2018 / 00040)

1. रतना पुत्र अर्जुन, जाति बावरी, निवासी राजपुरा, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
2. लालाराम पुत्र अर्जुन, जाति बावरी, निवासी राजपुरा, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
3. ताराचन्द पुत्र रतना, जाति बावरी, निवासी राजपुरा, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
4. गोगली पत्नि लालाराम, जाति बावरी, निवासी राजपुरा, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
5. शान्ति पत्नि रतना, जाति बावरी, निवासी राजपुरा, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
6. गोरा पत्नि तारचन्द, जाति बावरी, निवासी राजपुरा, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
7. राजु पुत्र रतना, जाति बावरी, निवासी राजपुरा, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
8. सूण्डा पत्रु नारायण, जाति जाट, निवासी राजपुरा, तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।
9. बालकिशन पुत्र सुण्डा, जाति ब्राहमण, निवासी राजपुरा, तह0 रूपनगढ, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र लादूराम, जाति रावत, निवासी ग्राम राजपुरा, तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़, जिला अजमेर दिनांक 30.11.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 1616 / 2016.

उपस्थितः—

1. श्री सुण्डाराम जाट, वकील अपीलांटस ।
2. श्री वी0एस0 भाटी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.

निर्णय

दिनांकः— 01.03.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 30.11.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी / रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध

अप्रार्थीगण/अपीलांटस के प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के कब्जे खातेदारी की भूमि ग्राम राजपुरा, पटवार क्षेत्र नवा भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थल मे खसरा नंबर 133 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है । इस आराजी को प्रार्थी ने सहकारी भूमि विकास बैंक रघुनाथपुरा द्वारा की गई नीलामी से क्रय किया है तथा खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 8 प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते है ओर आये दिन लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा रहते है तथा प्रार्थी के विरोध करने पर अनुसूचित जाति का मुकदमा लगाने की धमकी प्रार्थी को देते है । दिनांक 15.7.2016 को सभी अप्रार्थीगण एक राय होकर प्रार्थी के खेत पर आये ओर कहा कि आप अपनी जान बचाना चाहते हो तो यह खेत छोड़कर चले जाओ वरना जान से मार देगें । यदि प्रार्थी को अप्रार्थीगण बलपूर्वक बलात् कब्जे काश्त से बेदखल कर दते है, और उनको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नही रोका गया तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी तथा प्रार्थी अपनी क्रयशुदा आराजी से वंचित हो जावेगा । अतः प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 30.11.2017 द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलांटस को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का आदेश पारित किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र धारा 212 मय प्रारंभिक आपत्तियों के प्रस्तुत किया गया था जिसका अधी0न्याया0 ने अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलांटस को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने में त्रुटि कारित की है । विवादित आराजी अप्रार्थीगण/अपीलांटस की पैतृक भूमि है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटस का लगातार कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग प्रारंभ से आज तक निरन्तर चला आ रहा है । प्रत्यर्थी का विवादित आराजी पर मौके पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मौके पर भौतिक कब्जे के अभाव में किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्रसारित नहीं की जा सकती है । बहस में आगे कथन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को नीलामी के जरिये भी स्वर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा क्रय नहीं किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी को सहकारी भूमि विकास बैंक से नीलामी में ऊंची बोली लगाकर खरीद किया जाना दर्शाया गया है जबकि उक्त बेचान धारा 42 राज0काश्त0अधि0 के तहत शून्य एवं अवैध है । अधी0न्याया0 द्वारा उक्त वर्णित समस्त तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । इसी वादग्रस्त भूमि के संबंध में घोषणा हेतु एक राजस्व वाद संख्या 5/2016 उनवान लाला वगैरह बनाम नेमीचन्द वगैरह अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । प्रत्यर्थी द्वारा उक्त वाद की कार्यवाही से बचने के लिए विधि विरूद्ध रूप से पश्चात्वर्ती वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूमि धारक होता है । हर राजस्व वाद में तहसीलदार भूमि धारक होने के आधार पर आवश्यक पक्षकार होता है । स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में भी तहसीलदार आवश्यक

पक्षकार है इसके बावजूद प्रत्यर्थी द्वारा मूल वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में तहसीलदार, रूपनगढ को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार कायम नहीं किया है । ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी का वाद विधिनुसार पक्षकारों के कुसंयोजन एवं असंयोजन के आधार पर भी निरस्त किये जाने योग्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांटस/अप्रार्थीगण के पक्ष में होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीालांट को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में डी0एन0जे0 2019 (3) राज0 पेज 1042, डी0एन0जे0 2016 (3) राज0 पेज 1149 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजी को सहकारी भूमि विकास बैंक रघुनाथपुरा द्वारा नीलाम किया गया था जिसकी प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 ने नीलामी में सबसे ऊंची बोली लगाकर छुड़वाया था । बाद जांच प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज की गई है तब से विवादित आराजी पर प्रार्थी/रेस्पो0 ही काबिज काश्त है । विवादित आराजी से अपीलांटस का कोई संबंध, सरोकार नहीं है । अपीलांट सूण्डा गांव राजपुरा में कालीमाता के मंदिर की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है जिसका प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा विरोध किया जाता रहा है इसी कारण अपीलांटस रेस्पो0 से व्यक्तिगत रंजिश होने से उसकी खातेदारी आराजी पर एकराय होकर कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन करने पर आमादा है। अपीलांटस अनुसूचित जाति के व्यक्ति है जो रेस्पो0 को परेशान करने तथा उसी आराजी पर कब्जा करने की नियत से अनुसूचित जाति का प्रकरण दर्ज कराने की धमकियां देते है । रेस्पो0 विवादित आराजी का जरिये नीलामी से क्रयशुदा आराजी का राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार दर्ज है जिसकी आराजी में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दखल व व्यवधान किये जाने पर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबदं किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । प्राथी/रेस्पो0 संख्या 1 ने विवादित आराजी न्यायालय वसूली अधिकारी सहकारी समितियां, अजमेर से नीलामी के माध्यम से क्रय की है जिसके आधार पर प्रार्थी/रेस्पो0 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित क्रयशुदा आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है । अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि अन्य जाति के व्यक्ति नीलामी के माध्यम से क्रय कर सकते है अथवा नहीं तथा वसूली अधिकारी द्वारा की गई नीलामी प्रक्रिया दोषपूर्ण थी अथवा इन सब तथ्यों को निस्तारण मूल वाद में बाद साक्ष्य निर्धारित किया जावेगा किन्तु वर्तमान प्रकरण धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत विचाराधीन है जिसमें केवल प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं को देखा जाना है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी/रेस्पो0 जरिये नीलामी विवादित आराजियात का क्रेता होकर काबिज काश्त है । विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपनूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी/रेस्पो0 के पक्ष में पाये जाने से प्रार्थी/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अप्रार्थीगण/अपीलांटस को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है जिसमें हमें कोई

विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2017 यथावत् रखा जाता है ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर